न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

वाद संख्या :–142 / 2020

टीकमचन्द पुत्र भोजाराम आयु 70 वर्ष जाति जाट निवासी कस्बा बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. धीसाराम पुत्र सुण्डा आयु 80 वर्ष जाति जाट निवासी कस्बा बीदासर जिला चूरू
2. जगदीश पुत्र भोजाराम आयु 60 वर्ष जाति जाट निवासी कस्बा बीदासर जिला चूरू
3. महेन्द्रकुमार पुत्र भोजाराम आयु 45 वर्ष जाति जाट निवासी कस्बा बीदासर जिला चूरू
4. पुनमदेवी पत्नि राजूराम आयु 45 वर्ष जाति जाट निवासी कस्बा बीदासर जिला चूरू
5. नन्दलाल पुत्र राजूराम आयु 25 वर्ष जाति जाट निवासी कस्बा बीदासर जिला चूरू
6. शिवकुमार पुत्र राजूराम आयु 23 वर्ष जाति जाट निवासी कस्बा बीदासर जिला चूरू
7. सहीराम पुत्र राजूराम आयु 21 वर्ष जाति जाट निवासी कस्बा बीदासर जिला चूरू
8. सांवरमल पुत्र राजूराम आयु 19 वर्ष जाति जाट निवासी कस्बा बीदासर जिला चूरू
9. पथ एंव पी.डब्ल्यू.डी. विभाग जरिये सहायक अभियन्ता, सा. निर्माण विभाग उपखण्ड बीदासर
10. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी

–: निर्णय :–

दिनांक:– 13-01-2023

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि खेत खसरा संख्या 1237 एक हजार दौ सौ सेंतीस तादादी 14.1640 चौदह दशमलव एक हजार छः सौ चालीस हेक्टेयर, खसरा संख्या 1237 / 1815 एक हजार दौ सौ सेंतीस बट्टा एक हजार आठ सौ पन्द्रह तादादी 2.5925 दौ दशमलव पांच हजार नौ सौ पच्चीस हेक्टेयर, खसरा संख्या 1238 एक हजार दौ सौ अडतीस तादादी 16.5794 सौलह दशमलव पांच हजार सात सौ चौरानवे हेक्टेयर कुल किता 3 तीन कुल रकबा 33.3359 तेतीस दशमलव तीन हजार तीन सौ उनसठ हेक्टेयर भूमि वाके रोही बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 8 आठ की संयुक्त खातेदारी की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

स्थित है जिसमें वादी का 41731/131800 हिस्सा है। राजस्व रेकार्ड (नक्शा) के अनुसार खसरा संख्या 1237 व 1237/1815 के बीच में सें बीदासर से श्रीडूंगरगढ जाने वाली पक्की डामर सडक गुजरती है। राजस्व रेकार्ड अनुसार सडक के उतरी पूर्वी तरफ खसरा संख्या 1237 व दक्षिणी पश्चिमी तरफ खसरा संख्या 1237/1815 लगता है। वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 1237 का रकबा 14.1640 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1237/1815 का रकबा 2.5925 हेक्टेयर है। जबकि वर्तमान मौका अनुसार उक्त सडक खसरा संख्या 1237 व 1237/1815 से निकलकर खसरा संख्या 1238 में प्रवेश करती है। वर्तमान मौका पर खसरा संख्या 1237/1815 का रकबा लगभग 25 बीघा (6.3232 हेक्टेयर) का है जबकि जमाबंदी अनुसार उक्त खसरा का रकबा 2.5925 हेक्टेयर है। इसी प्रकार खसरा संख्या 1237 का रकबा जमाबंदी में ज्यादा व मौका पर कम है। राजस्व नक्शा अनुसार खसरा संख्या 1238 में सें सडक का कटाण नहीं है जबकि मौका पर खसरा संख्या 1238 में सें सडक गुजरती है ओर सडक के दक्षिणी पश्चिमी कुंट में खसरा संख्या 1238 का लगभग 3 बीघा का रकबा बचता है। सेटलमेंट विभाग के कर्मचारीयों ने जब बीदासर से श्रीडूंगरगढ सडक का कटाण किया था उस समय लापरवाही से इस सडक का कटाण वास्तविक जगह पर न करके वास्तविक जगह से कुछ दूरी पर पश्चिमी साईड में कर दिया है। राजस्व नक्शा अनुसार यह सडक खसरा संख्या 1236 की उतरी कुंट से निकलती है जबकि मौका पर यह सडक खसरा संख्या 1236 के लगती नहीं है। राजस्व नक्शा अनुसार यह सडक खसरा संख्या 1238 के नहीं लगती है जबकि मौक पर यह सडक खसरा संख्या 1238 के बीच में सें गुजरती है। इस प्रकार सेटलमेंट विभाग के कर्मचारीयों की लापरवाही से यह सडक नक्शा में वर्तमान जगह से हटकर दूर अंकित हो गई जिससे वादी को भंयकर असुविधा हो रही है। क्योंकि खसरा संख्या 1237/1815 की भूमि वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में है ओर मौका पर यह खसरा लगभग 25 बीघा का है जबकि जमाबंदी अनुसार यह खसरा 2.5925 हेक्टेयर का है। इस कारण राजस्व रेकार्ड व मौका का मिलान नहीं होने के कारण वादी को बैंक से ऋण लेने में बहुत परेशानी हो रही है और मौका व जमाबंदी, अक्स में अंतर होने के कारण वादी के साथ पाडौसी काश्तकार भी सींव को लेकर विवाद करते रहते है। इस कारण वादी वादगत भूमि का राजस्व रेकार्ड में मौका अनुसार संशोधन करवाना चाहता है। बीदासर से श्रीडूंगरगढ जाने वाली सडक का खसरा संख्या 2000/1799 है। राजस्व अक्स में जहां पर इस सडक के कटाण को अंकित किया गया है उस स्थान पर यह सडक ना तो पहले थी ओर ना ही अब वर्तमान में है। केवल सेटलमेंट विभाग के कर्मचारीयों की लापरवाही से इस सडक का कटाण वास्तविक जगह ना दर्शाकर उससे हटकर कुछ दूरी पर दिखा दिया जो कि गलत है। सडक का कटाण हकीकत जगह ना दर्शाने से जमाबंदी व अक्स दोनों का मौका अनुसार मिलान

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

नहीं हो रहा है। जमाबंदी व अक्स का मौका अनुसार मिलान नहीं होने से वादी को भंयकर असुविधा का सामना करना पड रहा है। वादी को राजस्व रेकार्ड व अक्स में संशोधन करवाने का अधिकार है। वादी अब मौका अनुसार सडक का अंकन अक्स में करवाना चाहता है। सडक का मौका अनुसार अंकन करने से रेकार्ड में खसरा संख्या 1237/1815 का रकबा सही हो सकता है। सेटलमेंट विभाग के कर्मचारीयों ने जहां अक्स में सडक को दर्शाया है उस स्थान पर ना तो कभी आवागमन हुआ ओर ना आज हो रहा है और ना ही रेकार्ड अनुसार सडक मौका पर मौजुद है। अक्स मे अंकित सडक का कटाण गलत व शुन्य निष्प्रभ है। राजस्व रेकार्ड व अक्स में संशोधन किया जाना उचित व न्याय संगत है। घोषित किया जावे कि बीदासर से श्रीडूंगरगढ जाने वाली सडक का कटाण जो वर्तमान अक्स में है वोह गलत व शून्य है। जिसको संशोधन किया जाकर उक्त सडक को खसरा संख्या 1238 में सें निकालकर अक्स में संशोधन किया जावे। वादी ने दिनांक 20.10.2020 को प्रतिवादीगण से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि का मौका अनुसार राजस्व रेकार्ड व अक्स में संशोधन करायें। इस पर प्रतिवादीगण ने साफ इनकार कर दिया। ओर वादी को ऐलानियां धमकियां दी कि वो रेकार्ड अनुसार भूमि का विक्रय करेगें। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत राजस्व रेकार्ड व एक्स में वर्तमान मौका अनुसार संशोधन कराये। राजस्व रेकार्ड व अक्स को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ओर प्रतिवादीगण को जरीये चिर निषेधाज्ञा की डिग्री से पाबंद किया जावे कि वोह वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी ना करें। वादी को वादगत भूमि की जमाबंदी व नक्शा की आवश्यकता होने पर जब पटवारी हल्का से नक्शा की प्रमाणित प्रति दिनांक 20.10.2020 को प्राप्त की तब वादी को वादगत भूमि की जमाबंदी व नक्शा को देखने पर पता चला की वर्तमान मौका अनुसार जमाबंदी व नक्शा नहीं है। तब पटवारी से पुछताछ करने पर पता चला की सडक के कटाण के समय से ही जमाबंदी व नक्शा गलत चल रहा है। ओर पटवारी ने अपने स्तर पर संशोधन करने से इनकार कर दिया। इससे पूर्व वादी को गलत नक्शा की जानकारी नहीं थी। कृशि भूमि की मालिक राजस्थान सरकार है। घोशणात्मक वाद में राजस्थान सरकार का 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत नोटिस दिया जाना आव यक है लेकिन मामला आव यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादगण द्धारा वादी को ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है इसलिए राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है इसलिए वादी द्धारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वादगत खेत वादी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादीगण की ऐलानियां

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। वाद राजस्व रेकार्ड व एक्स में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 9 को काफी अवसर दिये जाने के बावजुद जवाब पेश नहीं करने के कारण प्रतिवादी संख्या 9 का जवाब बंद किया गया। पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादीगण ने वाद के समर्थन में वादगत भूमि की जमाबंदी संवत 2076–2079 की प्रमाणित प्रति पेश की।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में दावा को डिक्री करने का निवेदन किया। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा में वकील वादी ने बताया कि वादगत भूमि में सें खसरा संख्या 1237/1815 का रकबा राजस्व रेकार्ड में 2.5925 हेक्टेयर दर्ज है जबकि इस खसरा का रकबा सेटलमेंट से पहले 6.3232 हेक्टेयर था और वर्तमान में मौका पर भी 6.3232 हेक्टेयर है। इस कारण इस खसरा का राजस्व रेकार्ड में रकबा 2.5925 हेक्टेयर की जगह 6.3232 हेक्टेयर किया जावे। पक्षकारों के आपस में वाद के किसी तथ्यों को लेकर कोई विवाद ना हो तथा पक्षकारों के मध्य सांमजस्य की भावना बनी रहे व वाद पत्र की प्रकृति को देखते हुए वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर पक्षकारों का वाद डिक्री योग्य होने से आंशिक रूप से स्वीकार कर इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम बीदासर के खसरा संख्या 1237/1815 का रकबा 2.5925 हेक्टेयर की जगह 6.3232 हेक्टेयर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 13-01-2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner